



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112021-231319
CG-DL-E-24112021-231319

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 670]
No. 670]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्राहायण 2, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवंबर, 2021

सा.का.नि. 829 (अ).—केन्द्रीय सरकार तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेल उद्योग (विकास) नियम, 1975 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का नाम तेल उद्योग (विकास) (संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तेल उद्योग (विकास) नियम, 1975 में (इसमें इन्हें मूल नियम कहा जाएगा), नियम 32 के उप-नियम (1) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“(1) निधि के जमा होने के तरीकों और स्थान के विषय में बोर्ड विनिश्चय कर सकता है, परन्तु निधि को अनुसूचित बैंकों में जमा किया जाएगा, जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिश्चय लिया जाएगा”।

[फा. सं. 11023(12)/1/2021-ई एक्स पी एल-I- पीएनजी (इ-38356)]

अरविंद नाथ झा, उप सचिव

नोट: - मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 160 (अ) दिनांक 22 मार्च, 1975 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 575(अ) दिनांक 22 सितम्बर, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2021

G.S.R. 829(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974) the Central Government hereby makes the following Rules to amend the Oil Industry (Development) Rules, 1975, 1975, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Oil Industry (Development) Amendment) Rules 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Oil Industry (Development) Rules, 1975 (herein referred as Principal Rules), in sub-rule 32 the following shall be substituted, namely:-

“(1) The Board may decide about the manner and place of deposit of funds, provided that the deposit shall be made in the Scheduled Commercial Banks, as may be decided by the Board.”

[F. No. 11023(12)/1/2021-EXPL-I-PNG (E-38356)]

ARVIND NATH JHA, Dy. Secy.

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India, Part II section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 160 (E) dated 22nd March, 1975 and lastly amended vide notification number G.S.R. 575 (E), Dated 22nd September, 2020.